रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220871
CG-DL-E-06082020-220871

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/ श्रावण 14, 1942
No. 312] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन)विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.062.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है, के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: खड (ख) के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कोई परिसमापक किसी रकम की वसूली करता है किन्तु उसे वितरित नहीं करता है वहां वह अपने द्वारा वसूल की गई रकम के अनुरूप फीस का हकदार

होगा । जहां कोई परिसमापक ऐसी किसी रकम को वितरित करता है जो उसके द्वारा वसूल नहीं की गई है वहां वह उसके द्वारा वितरित की गई रकम के अनुरूप फीस का हकदार होगा।"।

3. मूल विनियमों के विनियम 37 के उप-विनियम (6) में "क्रेता के चयन की लागत" शब्दों के स्थान पर "क्रेता की पहचान करने के लिए उपगत लागत" शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल विनियमों के विनियम 47 की सारणी में,-

(क) क्रम संख्यांक 4 के स्तंभ 2 में, "धारा 38(1) और (5), विनियम 17, 18 और 21क" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"धारा 38(1), विनियम 17, 18, 19, 20 और 21क";।

(ख) क्रम संख्यांक 18 के स्तंभ 4 में, "दावात्याग" शब्द के स्थान पर "अस्वीकरण" शब्द रखा जाएगा ।

डा. एम. एस साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/4/असा. /169/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं.157, तारीख 24 अप्रैल, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.060, तारीख 20 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था ।

IndiaCode

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August , 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Third Amendment) Regulations, 2020

No. IBBI/2020-21/GN/REG062.- In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations, further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Third Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 4, in sub-regulation (2), in clause (b), after the Table, the following Clarification shall be inserted, namely:-

"Clarification: For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where a liquidator realises any amount, but does not distribute the same, he shall be entitled to a fee corresponding to the amount realised by him. Where a liquidator distributes any amount, which is not realised by him, he shall be entitled to a fee corresponding to the amount distributed by him.".

3. In the principal regulations, in regulation 37, in sub-regulation (6), the word "of" shall be omitted.

4. In the principal regulations, in regulation 47, in the Table, -

(a) in serial number 4, in column 2, for "Section 38 (1) and (5), Reg. 17, 18 and 21A", the following shall be substituted, namely: -

"Section 38 (1), Reg. 17, 18, 19, 20 and 21A";

(b) in serial number 18, in column 4, for the word "disclosure", the word "disclaimer" shall be substituted.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT. /III/4/Exty. /169/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020 *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG060, dated the 20th April, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 157 on 24th April, 2020.

IndiaCode

Loaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.06 16:01:02 +05'30'